IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विकसित भारत के निर्माण में आरक्षण की प्रासंगिकता

डॉ0 अजीत प्रताप

शोध छात्र

आर0बी0एस0 कालेज, आगरा

शोध सारांष :–

भारतीय समाज में आरक्षण सदियों से मानवता के उत्थान के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। आज 21वीं सदी के भारत में आरक्षण व्यवस्था, गहन, बहस और राजनीति विचार–विमर्श का प्रमुख विषय बन गई है। किसी भी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पद्धति में यदि मनुष्य को जन्म के आधार पर सम्मानित अथवा अपमानित किया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था का आधार कदापि न्यायोचित और समतावादी न्याय नहीं कहा जा सकता है। भारतीय समाज की जातिगत आधारित संरचना में गहराइयों से निहित आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और हाशिए पर पेड़, जाति वर्गों को सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों तथा संसद व विधान मंडलों तक समान पहुंच प्रदान करना है। अतः विकसित भारत में आरक्षण एक संजीवनी के समान है जिसे आवश्यकता अनुसार पात्र लोगों को समुचित अवसर उपलब्ध कराकर एक सभ्य समाज व नवराष्ट्र के निर्माण की दिशा में सतत विकास के पथ पर सहजता से अग्रसर हुआ जा सकता है। यह शोध पत्र तुलनात्मक सामायिक प्रासंगिकता पर अधारित है। जिसमें तर्कों के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द :– आरक्षण, हाषिये पर पड़े वर्ग, स्वतन्त्रता आन्दोलन, समतामूलक समाज।

आरक्षण की पृष्ठभूमि :–

भारतीय सन्दर्भ में आरक्षण एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय रहा है। जिसमें कई प्रकार के आरक्षण नीतियों को सम्मिलित किया जा सकता है। यथा–सामाजिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, सरकारी–गैर सरकारी नौकरियों में आरक्षण, न्यायिक आरक्षण, व्यावसायिक आरक्षण आदि। भारत देश में प्राचीनकाल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक जन्म के आधार पर कुछ वर्गों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग–अलग समूहों में रखने की एक परम्परा रही है। इसके कारण समय–समय पर धन–सम्पत्ति, विद्या, सामाजिक सम्मान, पद–प्रतिष्ठा और राजसत्ता कुछ उच्च वर्गों तक ही सीमित रहे हैं और विभिन्न स्तर के वर्गों की एक विशाल जनसंख्या जो महिलाओं को मिलाकर 90 प्रतिशत है, उक्त सुविधाओं तथा मान–सम्मान से वंचित रही हैं। इस सामाजिक असंतुलन को दूर करने के लिए समय–समय पर अनेकों आन्दोलन हुए हैं। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय भी यही आदर्श था कि समाज के सभी वर्गों में धन–सम्पत्ति, विद्या, सामाजिक, पद प्रतिष्ठा एवं राजसत्ता का समुचित वितरण हो सके ताकि सदियों से इस मानवीय असंतुलन को मिटाया जा सके और एक समता मूलक व सर्वोन्नति समाज की स्थापना किया जा सके।

आजादी के पश्चात देश में सविधान के माध्यम से शासनसत्ता का संचालन तय हुआ तो ''समानता'' के मूल्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव के रुप में स्वीकार किया गया। उन्हीं उददेश्यों से प्रेरित होकर डॉ भीमराव अम्बेडकर ने वंचित समूहों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आरक्षण को एक प्रभावी समाधान के रुप में स्वीकार किया। भारतीय सामाजिक न्याय एवं समतावादी समाज, संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। जिसमें उल्लेखित है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कुछ मौलिक अधिकारों के साथ–साथ सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कुछ व्यक्तियों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण

आवश्यकतानुसार कुछ विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध कराना यथोचित है ताकि एक न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाज की स्थापना हो सके। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विकसित भारत के निर्माण में आरक्षण एक संजीवनी बूटी के समान प्रतीत होता है।

आरक्षण की उत्पत्ति एंव संक्रियात्मक विकास :–

वस्तुतः आरक्षण प्रणाली की उत्पत्ति 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के प्रारंभिक अवस्थाओं में परिलक्षित होती दिखाई पड़ती है। जो अनेकों समाज सुधारकों एवं राजनीतिक नेताओं द्वारा संचालित थी। भारत के सन्दर्भ में आरक्षण नीति एक कठिन विषय रहा है। जिसमें अनेकों प्रकार के आरक्षण को शामिल किया जा सकता है। जैसे सामाजिक आरक्षण, राजनैतिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, व्यावसायिक आरक्षण, न्यायायिक आरक्षण, सरकारी गैर सरकारी सेवाओं में आरक्षण तथा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण। आरक्षण की यह मांग समय समय पर उठती रही है जिन्हें अधोलिखित रुप में स्पष्ट किया गया है।

स्वतंत्रता पूर्व :–

- सन् 1882 ई0 में सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले ने सभी के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ–साथ सरकारी सेवाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी।
- सन् 1895 ई0 में मैसूर राज्य में ''मिलर कमीशन'' का गठन किया गया तथा जिसकी अनुशंसा पर सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में कुछ पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित किये गए।
- सन् 1901 ई0 में कोल्हापुर के शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में आरक्षण लागू किया जिसमें सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 50 प्रतिशत कोटा प्रदान किया गया।
- 1920 के दशक में डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर जी ने ''बाम्बे काउंसिल'' में 22/140 सीटें दलितों के लिए आरक्षित करने की मांग की तथा सन् 1935 ई0 में पूना समझौते के अन्तर्गत दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया गया।
- सन् 1921 ई0 में मद्रास प्रेसिडेन्सी ने सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की।
- सन् 1928 ई0 में बाम्बे सरकार ने आरक्षण के लिए एक कमीशन का गठन किया जिसने पिछड़ी जातियों को 3 वर्गों में विभाजित किया यथा–आदिम, दलित तथा पिछड़ी जातियां।
- सन् 1929 ई0 में ''साइमन कमीशन' ने आदिम जाति को अनुसूचित जनजाति तथा हरिजनों को अनुसूचित जाति के नाम से सम्बोधित किया। बाद में इसी नाम को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त संविधान निर्मात्री सभा ने भी स्वीकार किया तथा जिसका वर्णन संविधान में वर्णित है।

स्वतंत्रता पष्चात :–

- सन् 1950 ई0 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रोजगार, शिक्षा एवं विधायिकाओं में आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया गया जिसमें सरकारी व अर्धसरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों में क्रमशः 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत सीटें SC/ST के लिए आरक्षित किया गया।
- सन् 1970 व 1980 ई0 के दशक में सामाजिक आन्दोलनकर्ताओं द्वारा आरक्षण नीति में विस्तार करने और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल करने की मांग की।
- सन् 1991 ई0 में मंडल कमीशन(1979) ने सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की।
- सन् 1995 ई0 में 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अनुच्छेद–16 में खंड 4A जोड़ा गया जिससे SC व ST जाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण देना सम्भव हो गया।
- सन् 2000 ई0 में 81वां संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अनुच्छेद–16 में खंड 4B जोड़ा गया जिससे राज्यों को आगामी वर्षों में SC/ST जाति के रिक्त पदों भरने की अनुमति मिल गई।
- सन् 2019 ई0 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 50 प्रतिशत सीमा के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश प्रदान किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में आरक्षण नीति का इतिहास बहुत पुराना रहा है। मनुस्मृति में ब्राहमणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के स्थान आरक्षित किया गया तब से लेकर आज भी सही मायनों में महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉ0 अम्बेडकर , कालेकर आयोग , मंडल आयोग और भारतीय संविधान में कतिपय अनुच्छेदों में 14, 15, 16, 46, 330, 332 आदि ऐसे अनेक अनुच्छेदों को जोड़कर अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ विशेष वर्गों को सरकार द्वारा कुछ रियायतें स्वीकार की जाती है, जिसके माध्यम से उन्हें सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षण संस्थानों में आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, सरकारी सेवाओं में पद इत्यादि प्राप्त हो पाते हैं। यह कोई विशेषाधिकार नहीं है अपितु यह एक प्रकार की सरकारी रियायत है। जिसका प्रमुख उद्देश्य सम्बन्धित वर्गों को कोई विशेष लाभी देना नहीं वरन धीरे–धीरे उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रुप से ऊंचा उठाना है, जिससे इन समुदायों के जीवन पद्धति में आधारभूत परिवर्तन लाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और विकसित भारत के निर्माण में अपना न्यूनाधिक सहयोग प्रदान कर सके।

आरक्षण का प्रमुख उद्देष्य :–

प्रायः आरक्षण प्रदान करने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। यह कि गंभीर चिंतन व वाद–विवाद का विषय बना रहा है। परन्तु प्रमुख रुप से आरक्षण के दो उद्देश्य देखे जा सकते हैं–

1. **सामाजिक समतामूलक न्याय प्रदान करना :–**

समाजिक समतामूलक न्याय के अन्तर्गत प्रायः ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें संवैधानिक भाषा में परिगणित जाति एवं जनजाति के नाम से जाना जाता है। जो सभी दृष्टिकोणों में सामाजिक रुप से पिछड़े हों। इसीलिए इन वर्गों को आरक्षण के द्वारा विशेष सुविधाओं को उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय की श्रेणी में आता है। साथ–साथ यह राष्ट्रीय समस्या का समाधान भी ढूंढ़ता है। जिससे समाज के कुछ वंचित समुदायों के लोग स्वयं को राष्ट्र की मुख्य विकास–धार से अलग–थलग न समझें, बल्कि आरक्षण नीतियों के सहारे वे स्वयं के समाज का उत्थान के साथ–साथ अपने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

2. **स्वार्थपर्ता वष राजनीति सन्तुलन की स्थिति को कायम करना :–**

संविधान निर्माताओं ने आरक्षण व्यवस्था सीमित समय के लिये रखने की बात कही थी। परन्तु आज 79 वर्ष बाद भी राजनैतिक पार्टियां अपने–अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिये अमूलचूल परिवर्तन द्वारा इसे अपने ढाल के रुप में प्रयोग कर रही है। वस्तुतः आरक्षण का अभिप्राय अपनी योग्यता अनुसार स्वयं का स्थान आरक्षित करना है। यहां अनुसूचित जातियों व जनजातियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों का अभी तक का आरक्षण संदिग्ध रहा है और इन वर्गों को आरक्षण की सुविधा देने में सामाजिक न्याय की भावना तो कम दिखलाई पड़ता है। जबकि राजनीतिक संतुलन की भावना तो अधिक दर्शाता है। दरअसल, मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओ0बी0सी0 आरक्षण की व्यवस्था तो लागू कर दी गयी, परन्तु ओ0बी0सी0 में अत्यधिक कमजोर वर्ग व पिछड़े तबकों के लिए कुछ विशेष आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी जिसके कारण ओ0बी0सी0 आरक्षण का लाभ कुछ उच्च पिछड़ी जाति के ताकतवर जातियों के हाथों में सिमटकर रह गया है। ऐसे में अन्य पिछड़ी जाति के अन्दर ही वर्गीकरण की मांग लगातार की जाती रही है। जिसके फलस्वरुप अब तक नौ राज्यों में ही– तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पुडुचेरी, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र ने पहले ही ओ0बी0सी0 जातियों का वर्गीकरण को लागू कर दिया है। परन्तु केन्द्रीय सूची में इस तरह के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण इस प्रकार का बंटवारा आरक्षण की व्यवस्था में रोड़ा बन रहा है। जोकि राजनीति असंतुलन की भेंट चढ़ रहा है।

इसी प्रकार केन्द्र में वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में सामान्य वर्ग की जातियों को खुश करने के लिये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (ई0डबलू0एस0) के लिये 50 प्रतिशत सीमा के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी 3–2 के बहुमत से हरी झण्डी दे दी तथा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोटा हमेशा के लिये नहीं रह सकता है, इस सन्दर्भ में एक समय सीमा तय करने की जरुरत है।

आरक्षण के पक्ष में तार्किक चिन्तन :–

भारत में आरक्षण नीति लोगों के उत्थान और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने के लिए स्थापित की गई एक संवैधानिक प्रक्रिया है। यह सामाजिक समानता और उर्धगामी गतिशीलता को बढ़ावा देने में प्रभावी रही है। पिछले 78 वर्षों में आरक्षण को जितना लाभ वंचितों, पिछड़ों, दलितों को मिलना चाहिए उस अनुपात में अत्यन्त नग्ण है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आरक्षण नीति बिल्कुल असफल ही साबित हुई है। सर्वे आंकड़े दर्शाते हैं कि आरक्षण ने हाशिए पर पड़े विभिन्न समुदायों की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। इससे न केवल दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों को बल्कि समूचे देश को लाभान्वित किया है।

जातिगत जनगणना के आंकड़ो ने वर्तमान सामाजिक व आर्थिक असमानताओं की एक तस्वीर प्रस्तुत किया है। जिससे सामाजिक समता एवं न्याय संगति के एक साधन के रुप में आरक्षण की आवश्यकता पर अत्यधिक बल मिला है। आरक्षण के कारण ही मध्यमवर्गीय जातियों की प्रकृति और संरचना बदल गयी है। साथ ही अब हाशिए पर पड़े निचली जातियों के अधिकारी सदस्यों ने मध्य वर्गों समूह में प्रवेश पा लिया तथा अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया है। जाति प्रथा और उससे सम्बन्धित अस्पृश्यता–जातिगत भेदभाव जग्सी अवधारणा, जिसकी जड़ें भारतीय समाज में गहराई से व्याप्त थी, आरक्षण ने इन जड़ों को भी झकझोरने व उखाड़ फेंकने का काम किया है। आरक्षण ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी गहरा असर डाला है। शैक्षिक और व्यावसायगत अवसरों की उपलब्धि ने उत्पीड़ितों, दलितों, पिछड़े समुदायों में एक नए राजनीतिक नेतृत्य को जन्म दिया है।

आरक्षण के विपक्ष में तार्किक चिंतन :–

इस सन्दर्भ में यह तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रवेश मानदंडों आरक्षण नीति लागू करने से पेशेवरों की समग्र गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, खासकर चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में। आरक्षण विभिन्न समुदायों के मध्य सामाजिक विभाजन और अशांति व आक्रोश पैदा कर सकता है। जिससे जन आन्दोलन को बढ़ावा मिलता है और अत्यधिक आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक हानियां देश को उठानी पड़ती है। कभी–कभी आरक्षण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के बजाए निर्भरता पैदा करता है। जैसे 5 किलो राशन के मिलने के पात्र लोगों में कामचोरी बढ़ गयी है आर वे इस पर निर्भर होकर मेहनत से जी चुराने लगे हैं। प्रायः राजनीति से प्रेरित होकर कुछ सामाजिक–आर्थिक रुप से सम्पन्न वर्गों को भी आरक्षित श्रेणी में डाल दिया जाता है। क्योंकि ये वर्ग संख्या बल में अत्यधिक होते हैं और ये बड़े वोट बैंक का काम करते है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उन वर्गों पर पड़ता है जो वास्तविक रुप से आरक्षण के पात्र हैं। इसके अलावा कुछ वैसे भी गरीब सवर्ण जो योग्य हैं उन पर भी इसका सीधा–सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार उपरोक्त तर्क–वितर्क के चिन्तन से तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि यदि हम हाशिए पर ढकेल दिए गए, वर्गों के जीवन में आरक्षण के जरिए महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहें तो हमारे पास केवल दो विकल्प है। वहला या तो सरकार को रोजगार के अवसरों, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में सीटों की उपलब्धता में आवश्यक रुप से वृद्धि करे, या दूसरा फिर इन लाभों को प्राप्त करने योग्य आबादी का आकार सुनिश्चित आनुपातिक प्रणाली द्वारा कम करना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान स्थिति की गम्भीरता से लिया जाए तथा उन कुछ समुदायों को उभारने के लिए कुछ विशेष अवसर दिया जाए, जिन्हें इतिहास में कुछ ज्यादा वंचित किया गया है। क्योंकि आरक्षण के मूल सिद्धान्तों में भी यही भावना निहित है। इसके प्रभाव और भूमिका के सभी पक्षों का वैज्ञानिक उद्देश्यात्मक तथा अनुभव मूलक अध्ययन किया जाए।

विकसित भारत के निर्माण में आरक्षण की प्रासंगिकता :–

स्वतंत्र भारत में हमारे संविधान निर्माताओं ने उपरोक्त सभी तथ्यों से भली भांति परिचित थे इसलिए उन्होंने अपनी इस दूरदृष्टा के कारण ही राजनीतिक शासन व्यवस्था में समतामूलक, सामाजिक न्याय व सुसंगत शासन प्रणाली की स्थापना का प्रयास किया ताकि राष्ट्र से अनिष्टकारी व्यवस्था का अभिशाप मिटाया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि समाज के निम्न जीवन स्तर वाले जाति वर्गों को विशेष वरीयता और अवसर प्रदान किये जाए। इसलिए इस मूल सिद्धान्त को हमारे संविधान में मान्यता भी दी गयी और तद्नुसार आरक्षण की व्यवस्था की गयी। संविधान निर्माताओं को पूरा विश्वास था कि आरक्षण व्यवस्था से सामाजिक समुदायों में निम्न व अस्पृश्य माने जाने वाले कमजोर, दलित, वंचित व पिछड़े व्यक्ति कुछ समय पश्चात सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता को प्राप्त कर लेंगे तो वे

समाज के मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने में अपना अपना योगदान दे सकेंगे। आजादी के समय समतामूलक न्याय और विकास की जो परिकल्पना महात्मा गांधी जी और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी, उससे हम आज विपरीत दिशा में चल रहे हैं। गॉधी जी का मन्तव्य था कि न्याय और विकास कार्यों की दिशा सामान्यतः नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए अर्थात विकास का लाभ सदैव पहले उसे मिलना चाहिए जो सबसे शोषित, उत्पीड़ित, वंचित और दमित है। जबकि वस्तुस्थिति ठीक उसके बिल्कुल विपरीत है, पूंजीपति पहले से अधिक धनी होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में उदारीकरण की नीति के बाद से देश में करोड़पतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जबकि पिछड़े दलितों, वंचितों की दशा पहले से और भी खराब स्थिति में पहुंच गयी है। आज भारत को आजाद हुए 79 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। फिर भी हम आरक्षण की नीति को पूर्ण रुप से क्रियान्वित करने में विफल रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि आज 21वीं सदी के भारत में आरक्षण नीति की प्रासंगिकता अत्याधिक बढ़ गयी है। भारत में आरक्षण व्यवस्था, खासकर वर्तमान समय में गहन, बहस और राजनीतिक विचार विमर्श का विषय बन रही है। धर्म आधारित आरक्षण के बढ़ते विरोध और योग्यता आधारित आरक्षण पर नये सिरे से जोर दिये जाने के साथ, इस विषय ने काफी ध्यान आकर्षित किया है तथा हाल ही में हुए कुछ प्रदेशों में जाति गणना ने मौजूदा आरक्षण नीतियों की पर्याप्तता और निष्पक्षता पर चर्चा को तेजी से बढ़ा दिया है। भारतीय समाज की जातिगत आधारित संरचना में गहराई से निहित आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और हाशिए पर पड़े वर्गों को सरकारी–गैर सरकारी सेवाओं, शैक्षिक संस्थानों और विधान मंडल तक समान पहुंच प्रदान करना है। वर्षों से, यह विभिन्न कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों के बीच विकसित हुआ है। जो भारतीय समाज की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। जैसे–जैसे भारत का विकास और परिवर्तन जारी रहेगा, तब–तक आरक्षण प्रणाली संभवतः उसके सामाजिक ताने–बाने का एक महत्वपूर्ण पक्ष बना रहेगा। अततः यह कहा जा सकता है कि आज भी आरक्षण ववस्था भारतीय समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक एवं समचीन प्रतीत होता है क्योंकि भारत में गरीबी दर कई विदेशी राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत अधिक है। एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार लगभग 37 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने को मजबूर है। और इस मजबूरी को दूर करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता बढ़ जाती है। आरक्षण ही एक ऐसी संजीवनी बूटी है जिसके माध्यम से गरीबी जात–पात, अराजकता, हिंसा आदि को दूर कर देश में एक सर्वसमाज व न्यायसंगत, समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। जोकि विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

निष्कर्ष :–

जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जिस संविधान के माध्यम से शासन चलना तय हुआ उसमें समानता के मूल्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव के रुप में स्वीकार किया गया। भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सामाजिक न्याय विशेष रुप से संवैधानिक रुप से डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी से अत्यधिक प्रभावित रहा है। वस्तुतः आरक्षण एक उपाय है, जिसके माध्यम से कुछ पदों को रोजगार में सुरक्षित किया जाता है तथा संसद, राज्य विधान मण्डल एवं स्थानीय निकायों में कमजोर एवं समाज में निचले पायदान पर पड़े अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों, महिलाओं, दिव्यांगों एवं ई0डबलू0एस के लिए एक निश्चित प्रतिशत में सीटें आरक्षित की जाती है। उस आरक्षण नीति को प्रभावशाली बनाने में भारतीय संविधान को एक अनोखा संकल्पित दस्तावेज माना जाता है। किन्तु यह एक कटु सत्य भी है कि संविधान निर्माताओं ने इस योजना को मजबूरी वश स्वीकार किया, क्योंकि जातियों एवं वर्गों के आधार पर विभाजित भारतीय समाज में सामाजिक क्षमता और कुछ हद तक राजनीतिक संतुलन के कारण उसे स्वीकार करना पड़ा था।

आज 21वीं सदी के भारत में आरक्षण नीति हिंसात्मक रुप में दिखाई पड़ती है। इसके पक्ष व विपक्ष दोनों आंदोलनों ने एक भयानक और गन्दा आकार देश के विभिन्न भागों में ले लिया है। इसके कारण हाल ही में काफी विवाद उत्पन्न हुआ है। देश के कुछ भागों में हिंसा भी हुई है। अतः तत्कालिक आवश्यकता उस बात की है कि आरक्षण नीति हर प्रकार से लागू करें कि वह न्यायपूर्ण लगे और व्यवहारिक रुप में भी उसकी न्यायिकता सिद्ध हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो भविष्य में अनावश्यक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति टकराव होंगे, जो पहले से ही विखंडित भारतीय समाज को और भी विखंडित कर देंगे।

अतः आज हमें आरक्षण नीतियों का समय–समय पर मूल्यांकन व समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा उस

ओर ध्यान देने की जरुरत है कि समाज में न्यायोचित सामाजिक समानता हेतु उन कतिपय उपबन्धों जो पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, दिव्यांगो के कल्याण हेतु संविधान में बनाये गये हैं उन्हें बौद्धिक स्तर से सभी विद्वानों, आलोचकों, समाज सुधारकों को इन दमित, हाशिए पर पड़े, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जीवनयापन कर रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने व भारत में सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु इन्हें स्वच्छ छवि एवं कड़ाई से पालन करने की जरुरत है। तभी हम सही मायने में समान सामाजिक समरता को स्थापित कर पायेगा तथा विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना को साकार किया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूची :–

- वीर धनंजय(1981) : डॉ0 अम्बेडकर–लाइफ एण्ड मिशन, बम्बई।
- प्रसाद, अनिरुद्ध(1990): रिजर्वेशन पालिसी एण्ड प्रैक्टिस इन इण्डिया नई दिल्ली।
- विश्वकर्मा, ईश्वर शरण(2017) राष्ट्रीय आरक्षण नीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- सत्येन्द्र, पी0एल0(2018) मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल, लेफ्ट वर्ड प्रकाशन दिल्ली।
- पुरोहित, शिवांगी(2018) आरक्षण : 70 साल, अनुराधा प्रकाशन नई दिल्ली।
- शौरी, अरुण(2018) आरक्षण का दंश, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली।
- अरोड़ा, अरविन्द(2019) आरक्षण नीति, अग्नी प्रकाशन नई दिल्ली।
- सर्वाधिकारी, प्रयास(2019) आरक्षण और मेरिट भ्रांति या वास्तविकता नभ प्रकाशन दिल्ली।
- प्रभाकर, डी0के0(2020) सामाजिक न्याय का प्रथम सोपान आरक्षण, नोटिशन प्रेस, दिल्ली।

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation